

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रदन्धक,

एवरेसिया रक्तूल,

ओमेक्स सिटी निकट रायबरेती रोड, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सामने, लखनऊ।
पत्रांक/वैसिक-एस०टी०/ १९५ / २०१६-१७. दिनांक- २२. ४. १६

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए गान्यता प्रमाण-पत्र महोदय।

आपके आदेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राधार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2016-17 से तीन वर्ष की अवधि के लिए श्री प्राइमरी से जूँड़ा०रकूल (नर्सरी से कक्ष ४ तक) तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम गान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

१-गान्यता की मंजूरी प्रिस्तारीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्ष ४ के पश्चात मान्यता/संदर्भन करने के लिए कोई गान्यता दिवक्षित नहीं है।

२-विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपायं १) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपायं २) तथा नियमावली 2011 के उपर्योग का पालन करेगा।

३-विद्यालय कक्ष १ में (या यथारिति, नर्सरी कक्ष में) उस कक्ष में बालकों की सख्त्या के 25 प्रतिशत तक आसा-पठोस के कमज़ोर वर्गी और सुविधा-विद्युत समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उहने नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

४-पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपदारा (2) के उपर्योग के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैक्षण्याता रखेगा।

५-सोसाइटी/विद्यालय किसी गैमिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके नाता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

६-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपर्योग का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित परेगा:

(१) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्ष में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जाएगा।

(२) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(३) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई घोर परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(४) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(५) अधिनियम के उपर्योग के अनुसार निःशक्तिताभर्त/विशेष जावश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(६) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ अर्हताएं नहीं हैं। पौँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(७) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,

(८) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

७-विद्यालय सनुष्ठित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचार्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 10002 वर्ग मीटर

कुल निर्मित क्षेत्रफल- 7335 वर्ग मीटर

कीड़ास्थल का क्षेत्रफल- पर्याप्त है।

कक्षाओं की संख्या- 14

प्राप्यापक-सहकार्यालय- सहभण्डार के लिए कक्ष-04

बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शोचालय- उपलब्ध है।

पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।

मिठ-डे-मील पकाने के लिए रसोई-एक

बाधारहित पहुँच-उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।

9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-रथल का प्रयोग केवल विद्या और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12-स्कूल को वित्ती व्यधि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियन्त्रण के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्यंक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14-आपके दिव्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक: 179 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राधार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15-विद्यालय एसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करना जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और सनुचित संरक्षण/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17-शासनादेश दिनांक 08-5-2013 में दिए गए समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(प्रवीण मणि त्रिपाठी)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ

पूर्णांक तिथि-उक्तवत्।

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यदारी ऐसु-

1-जिलाधिकारी लखनऊ।

2-मूल विकास अधिकारी लखनऊ।

3-शिक्षा निदेशक/दीर्घिका/उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद।

3-संघिय उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

4-जिला रामाज/जिला अल्पसंख्यक/जिला पिछोड़ वर्ग/प्रदेश विभाग विद्यालय अधिकारी लखनऊ।

5-एप वैसिक शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड विकास विभाग लखनऊ।

6-कार्यालय गढ़ फाइल।



जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।